

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील सं. 934/2013 जिला जयपुर

उनवान लियातुल्लाह मेहता प्रा. लि. vs A.C.A.E. जोन I जयपुर

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
-----------------------	--	---


12.5.2014


**श्री जे.आर. लोहिया, सदस्य
श्री सुनील शर्मा, सदस्य**

अपीलार्थी की ओर से श्री अलोकेश शर्मा वि. अखिलका एवं उत्पत्थी की ओर से श्री रामकेश सिंह D.G.A उपर।

श्री अलोकेश शर्मा ने लिखित आवेदन प्रस्तुत कर जातिर किताब के अन्तर्गत उपायुक्त (अपील) के रा. मू. प. क. अ की धारा 38 (4) के अन्तर्गत जारी किये गये विवाद प्रस्तुत की गई थी। अर्क अपील का निष्पादन अपीलार्थी की कार्यवाही द्वारा किताब पर हुआ है अतः मांग कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की अपील को वापस (Withdraw) लेना चाहता हूँ।

उत्पत्थी के वि. उ. रा. अ. उ. मा. कोर्ट एतराज नहीं करता। अतः अपील वापस लिखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाये। अपील अस्वीकार की जाती है।


सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर


सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर